राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1124/III/2014 जिला छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1-5-2014 | यह निगरानी तहसीलदार नौगॉव व्दारा प्रकरण कमांक 330/अ-68/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–3–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम बारबई स्थित भूमि सर्वे कमांक 151/1/1 पर रघुनाथ सिंह पुत्र कल्याण सिंह, लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवचरण कुशवाहा, अजयपालसिंह पुत्र बाबूसिंह व्दारा दुवारा अतिकमण कर लिया है एंव सर्वे नंबर 151/1/1 की भूमि पर रघुनाथ सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी बारबई ने गेहूँ की फसल बोकर तथा लक्ष्मन सिंह पुत्र शिवचरण कुशवाह ने जौ की फसल बोकर अतिकमण किया है, जबकि तहसील न्यायालय में इन्हीं के विरूद्व पूर्व से अतिकमण का प्रकरण विचाराधीन है। तहसीलदार व्दारा अतिकमण कर फसल बोये जाने से निगरानाधीन प्रकरण में फसल कुर्की के आदेश दिये थे किन्तु यह आदेश पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय दिये जाने की चूक के कारण न्यायिक दृष्टिकोण | |

1.5.14

से सुनवाई एंव बचाव का अवसर देने के उद्वेश्य से फसल कुर्की वावत् दिये गये आदेश को आगामी पेशी तक स्थिगित किया है जो 5–4–13 थी। दिनांक 5–4–13 की तिथि निकल चुकी है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अप्रचलन योग्य हो गई है।

4/ वैसे भी तहसीलदार के आदेश पर गुणदोष पर भी विचार किया जाय , तहसीलदार व्दारा एकपक्षीय एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित होने के कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत मानकर अंतरिम आदेश दिनांक 24–3–14 से तदाशय का निर्णय लिया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य